पुलिस कमिश्नरेटलखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-II

मिशन शक्ति 5.0
पार्क की खुली हवा में बच्चो को एक नई सीख,
बच्चों को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना आशियाना टीम द्रवारा जोनल पार्क में आयोजित पिकनिक के दौरान Rhyme & Rhythm International School के बच्चों को 'मिशन शक्ति' के तहत किया गया जागरूक। गुड टच-बैड टच, हेल्पलाइन नंबरों और साइबर क्राइम बारे में जानकारी देकर बच्चों को सिखाई आत्मरक्षा और सशक्तिकरण की बारीकियाँ।

दिनांक:13.11.2025

'मिशन शक्ति 5.0 जागरूकता अभियान' एक सराहनीय पहल साबित हुआ। इस कार्यक्रम ने पारंपरिक सभागारों की जगह खुले प्राकृतिक वातावरण में महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाकर एक नई मिसाल कायम की। अभियान के दौरान महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, आत्मरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विस्तृत चर्चा हुई। इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचित कराना था, बल्कि समाज के हर वर्ग को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाना भी था। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।"

उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान **"मिशन शक्ति 5.0"**के तहत थाना आशियाना पुलिस द्वारा आज एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जोनल पार्क में **किया गया**, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना था।

आयोजन का विवरण:

- थाना आशियाना क्षेत्र के अंतर्गत जोनल पार्क में जन सहयोग से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान किया गया।

आयोजक टीम :

- म0उ0नि0 सुश्री नीलम सिंह, थाना आशियाना, लखनऊ कमिश्नरेट।
- उ0नि0 श्री राजू यादव, थाना आशियाना, लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0हे0का0 कंचन देवी, थाना आशियाना, लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0का0 नीलम, थाना आशियाना, लखनऊ कमिश्नरेट।

महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र एवं सभी हेल्पलाइन नम्बर 1090, 112, 108, 1098, एवं 1076 आदि की जानकारी दी गयी। साथ- साथ बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क , थाने में नवनिर्मित मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

भरोसा और पारदर्शिता: पुलिस और समुदाय के बीच सीधा संवाद दोनों के बीच की दूरी को कम करता है। जनता की चिंताओं को सुनना और उनका समाधान बताना आपसी विश्वास को मजबूत करता है।

डर का खात्मा: अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से झिझकते हैं। ऐसे मंचों से उन्हें सुरक्षा का अहसास होगा और वे बिना डर के आगे आ सकेंगी।

त्वरित कार्रवाई: सीधे संवाद से समस्याओं को तेजी से समझा और सुलझाया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर मौजूद चुनौतियों की सीधी जानकारी मिलती है।

जागरूकता बढ़ाना: पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, आत्म-रक्षा के तरीकों और तकनीकी सहायता के बारे में सीधे जागरूकता फैला सकती है।

मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य भर में महिला सुरक्षा को एक मुख्य एजेंडा बनाने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहाँ महिलाएं बिना किसी डर के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और न्याय प्रणाली पर उनका विश्वास बढ़े।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2686
दिनांक-13.11.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2025 को वादी श्री महेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व0 शहजादे सिंह नि0-निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर देकर सूचित किया कि विपक्षी विकास गुप्ता उर्फ विनोद उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण उर्फ फकीरे नि0-केसरीपुर पोस्ट कौड़िया थाना अतरौली जनपद हरदोई हालपता-म0नं0 417/165/5क निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ के द्वारा सोते समय वादी उपरोक्त को अकेला पाकर रात्रि में कमरे में आकर जान से मारने की नियत से बिजली का तार गर्दन में लगा दिया करेंट लगने से वादी जाग गया। जिसके बाद गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। वादी के जाग जाने पर दोनों के मध्य धक्का मुक्की हुई। इसी मध्य शोर शराबा सुनकर विपक्षी मौके से फरार हो गया।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-703/2025 धारा-109() बीएनएस बनाम विकास गुप्ता उर्फ विनोद उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही तथा सुरागरसी पतारसी के क्रम में आज दिनांक-13.11.2025 को अभियुक्त विकास गुप्ता उर्फ विनोद उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण उर्फ फकीरे नि0-केसरीपुर पोस्ट कौड़िया थाना अतरौली जनपद हरदोई हालपता-म0नं0 417/165/5क निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ को वरदानी मंदिर के पास हरदोई रोड से हिरासत पुलिस में लेकर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास गुप्ता उर्फ विनोद उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण उर्फ फकीरे नि0-केसरीपुर पोस्ट कौड़िया थाना अतरौली जनपद हरदोई हालपता-म0नं0 417/165/5क निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री ओमवीर सिंह चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री हेमू पटेल चौकी प्रभारी तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री रितेश कुमार राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
4. का0 अंकज यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2684
दिनांक-13/11/2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनाँक 13/11/2025 को उ0नि0 श्री ऋषभ कुमार मय हमराह का0 पंकज कुमार के देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन जाँच अहकामात लम्बित विवेचना में तलाश वांछित वारंटी में मामूर थे कि थाना स्थानीय पर माननीय न्यायालय से प्राप्त एन0बी0डब्लू से सम्बन्धित वारण्टी/अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र स्व0 पप्पू सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कमलाबाद थाना सैरपुर लखनऊ सम्बन्धित वारंट वाद संख्या 1282/2025 धारा 170/126/135 बीएनएसएस थाना सैरपुर लखनऊ की तलाश पतारसी सुरागरसी में मामूर थे कि वारंटी अभियुक्त अपने घर के पास मौजूद मिला जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम (1) दीपक सिंह पुत्र स्व0 पप्पू सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कमलाबाद थाना सैरपुर लखनऊ बताया नाम पता तस्दीक कर अभियुक्त को मा0न्यायालय माननीय न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट बी0के0टी0 लखनऊ द्वारा जारी NBW से अवगत कराते हुए दिखाकर मान० सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशों का पालन करते हुए कारण गिरफ़्तारी बताते हुए वारण्टी उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लिया। विधिक कार्यवाही को पूर्ण कर वारंटी/अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-दीपक सिंह पुत्र स्व0 पप्पू सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कमलाबाद थाना सैरपुर जनपद लखनऊ (मजदूरी)

03-सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू का विवरण

01-वाद सं0- 1282/2025 धारा 170/126/135 बीएनएसएस थाना सैरपुर लखनऊ

04--अभियुक्त दीपक सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 98/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना सैरपुर लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. उ0नि0 श्री ऋषभ कुमार
2. का0 पंकज कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2682
दिनांक-13.11.2025

जोन-दक्षिणी/थाना -मोहनलालगंज

- **यातायात माह के अंतर्गत मोहनलालगंज पुलिस द्वारा ऑटो/टेंपो चालकों के लिए जागरूकता बैठक**

जन सामान्य में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे **'यातायात माह नवम्बर 2025'** के अंतर्गत, आज थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया।

यह बैठक मोहनलालगंज बस स्टॉप पर आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व **श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, मोहनलालगंज, श्री विकास कुमार पांडेय** और **प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज, श्री डी.के. सिंह** ने किया। बैठक में मोहनलालगंज क्षेत्र के ऑटो और टेंपो चालकों ने **बड़ी संख्या में** हिस्सा लिया।

- **मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा**

अधिकारियों ने चालकों को यातायात नियमों के पालन के महत्व को समझाते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें जागरूक किया:

- **यातायात नियमों का सख्ती से पालन:** चालकों को निर्धारित लेन में चलने, यातायात सिग्नल का पालन करने, तथा **रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचने** के लिए निर्देशित किया गया।
- **ओवरलोडिंग पर नियंत्रण:** वाहनों में सवारी की संख्या को निर्धारित **कानूनी सीमा** में रखने पर जोर दिया गया ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
- **निर्धारित स्थानों का प्रयोग:** सवारी को चढ़ाने और उतारने के लिए केवल **चिह्नित/निर्धारित स्थानों** का ही उपयोग करने की अनिवार्यता बताई गई।
- **दस्तावेज़ अद्यतन:** सभी चालकों को अपने वाहनों के **फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस** और **प्रदूषण प्रमाण पत्र** को हमेशा अद्यतन (Updated) रखने का निर्देश दिया गया।
- **सुरक्षा उपायों का अनुपालन:** हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे **सुरक्षा उपायों** का अनिवार्य रूप से पालन करने पर बल दिया गया।
- **नशे में ड्राइविंग पर रोक:** चालकों को **नशे की हालत** में वाहन न चलाने की सख्त चेतावनी दी गई, जो सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
- **महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति:** ऑटो/टेंपो में यात्रा करने वाली **महिलाओं की सुरक्षा** सुनिश्चित करने और **मिशन शक्ति** के उद्देश्यों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

05-अभियुक्त अली हुसैन उर्फ सूफियान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-161/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
2. मु0अ0सं0-253/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
3. मु0अ0सं0-266/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
4. मु0अ0सं0-297/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
5. मु0अ0सं0-354/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
6. मु0अ0सं0-362/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
7. मु0अ0सं0-365/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
8. मु0अ0सं0-367/2025 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
9. मु0अ0सं0-420/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना मड़ियाव
10. मु0अ0सं0-141/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना अलीगंज
11. मु0अ0सं0-247/2025 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना बीकेटी
12. मु0अ0सं0-137/2018 धारा 392/411 भादवि कोतवाली सीतापुर
13. मु0अ0सं0-148/2018 धारा 392/411 भादवि कोतवाली सीतापुर
14. मु0अ0सं0-188/2018 धारा 392/411 भादवि कोतवाली सीतापुर
15. मु0अ0सं0-195/2018 धारा 411/413 भादवि कोतवाली सीतापुर
16. मु0अ0सं0-632/2018 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली सीतापुर

06-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0स0-652/25 धारा 3(1)/2b(i)/2b(xi) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मड़ियांव लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नितिन कुमार
2. उ0नि0 शुभम तिवारी
3. उ0नि0 अखिलेश सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2683
दिनांक: 13.11.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **मडियांव पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 13.11.2025 को उ0नि0 नितिन कुमार मय हमराह उ0नि0 शुभम तिवारी व उ0नि0 अखिलेश कुमार के चौकी अजीज नगर में देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व अन्य दीगर कार्य सरकार में मामूर थे।

मुखबिर खास ने आकर बताया ने बताया कि आप जिस अली हुसैन की तलाश कर रहे हैं वह अभी चन्द्रा ढाल पर मौजूद है और बस अथवा किसी वाहन से कहीं जाने की फिराक में है यदि आप जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर मैं उ0नि0 मय हमराह मय मुखबिर के कर्म0गण चन्द्रा ढाल पहुंचे तो मुखबिर ने चन्द्रा ढाल पर वाहन का इन्तजार कर रहे व्यक्ति जो आर्मी कलर की कमीज पहने व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया कि वही अली हुसैन है और मुखबिर चला गया मुझ उ0नि0 व हमराह उ0नि0गण के द्वारा खड़े व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर हिकमत अमली से पकड़ लिया गया।

हिरासत में लिये गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो कोई तो उसने अपना नाम अली हुसैन उर्फ सूफियान पुत्र मुन्ना निवासी मोहल्ला मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष बताया इत्मिनान होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 652/25 धारा 3(1)/2b(i)/2b(xi) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में वांछित होने पर कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। जामा तलाशी ली गयी तो कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नही हुई।

दौराने बरामदगी व गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभि0 अली हुसैन के विरुद्ध थाना स्थानीय व जनपद के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

वाहन चोरी कर आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-अली हुसैन उर्फ सूफियान पुत्र मुन्ना निवासी मोहल्ला मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष व्यवसाय (फुटपाथ पर कम्बल बेचने का कार्य)

04. पूछताछ का विवरण-

अली हुसैन उर्फ सूफियान पुत्र मुन्ना निवासी मोहल्ला मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि मैं कुछ समय पहले वाहन चोरी करने के अपराध में जेल गया था। मुझे जानकारी हुई के मेरे खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया है तो मैं कही भागने की फिराक में था।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2687
दिनांक-13.11.2025

जोन-दक्षिणी/थाना -बन्थरा

- **थाना बन्थरा पुलिस टीम द्वारा मारपीट कर अराजकता फैलाने वाले 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अराजक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बंथरा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 11.11.2025 को थाना बंथरा क्षेत्रांतर्गत दो पक्षों द्वारा आपस में मारपीट की गई थी जिसके संबंध में थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 381/2025 धारा 115(2)/74/351(3) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 282/2025 धारा 115(2)/74/191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण में फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी है।

03-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 381/2025 धारा 115(2)/74/351(3) बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ।
2.मु0अ0सं0 282/2025 धारा 115(2)/74/191(2) बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

प्रथम पक्ष–

1. अंकित पुत्र अमृतलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम चिल्लावां, वार्ड नं 03 थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।
2. सर्वेश उर्फ अंकुश पुत्र गंगा प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड सं 04 अंबेडकरनगर बंथरा, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ।
3. रामप्रकाश पुत्र लक्ष्मण, उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम बंथरा, थाना बंथरा जनपद लखनऊ।
4. अखिलेश पुत्र राम प्रकाश, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बंथरा, सिकंदरपुर वार्ड सं 04, थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

द्वितीय पक्ष–

1. तुलसीराम पुत्र लक्ष्मण उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बंथरा, थाना बंथरा जनपद लखनऊ।
2. अर्जुन गौतम पुत्र कल्लू, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बंथरा, थाना बंथरा जनपद लखनऊ।
3. युवराज गौतम पुत्र दिलीप कुमार, उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बंथरा, थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बंथरा पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2685
दिनांक-13.11.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.10.2025 को वादी मुकदमा अमन कुमार पुत्र बलवन्त सिंह निवासी हंसपुरवा कोतवाली दिवियापुर थाना औरैया जनपद औरैया कि लिखित प्रा0 पत्र बावत प्रतिवादीगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ वादी की गाडी को क्षतिग्रस्त कर, वादी के ऊपर फायर कर जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने विषयक के आधार पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में 0 एफआईआर पंजीकृत हुआ था निरीक्षण घटना के उपरांत घटना स्थाल सम्मिट बिल्डिंग से 300-400 मीटर की दूरी शहीद पथ थाना गोमतीनगर लखनऊ होना पाया गया जिससे थाना स्थानीय गोमतीनगर पर 0 एफआईआर को दिनांक 11.11.02025 को मु0अ0सं0 529/2025 व धारा 109(1)/324(4)/351(3) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ बनाम 01.रितिक पोरवाल उर्फ भोला पुत्र मोहित पोरवाल उर्फ पप्पू पोरवाल निवासी संजय नगर दिबियापुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया 02.रितिक पोरवाल का साथी नाम व पता अज्ञात की विवेचना उ0नि0 गुरप्रीत कौर द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

दिनांक 12.11.2025 को म0उ0नि0 गुरप्रीत कौर उ0नि0 दीपक कुमार यादव हमराह का0 सूर्य प्रताप सिंह के उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 01-आदित्य प्रताप सिंह पुत्र लायक सिंह नि0 प्लाट नं0 5 अराजी नं0 1178 वकील नगर बारहसिरोही कल्याणपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष को हुसडिया चौराहा सब्जी मंडी के पास गोमतीनगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जो दिनांक 27.10.2025 को अपने दोस्तो के साथ देशी कट्टे से डीएलएफ से ट्रासपोर्ट नगर तक शहीद पथ पर चार बार फायर करवाया था वादी मुकदमा के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की जल्द ही गिरफ्तार कर मा0 न्या0 पेश किया जायेगा।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-आदित्य प्रताप सिंह पुत्र लायक सिंह नि0 प्लाट नं0 5 अराजी नं0 1178 वकील नगर बारहसिरोही कल्याणपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 529/2025 धारा 109(1)/324(4)/351(3)/61(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- म0उ0नि0 श्रीमती गुरप्रीत कौर थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक कुमार यादव थाना गोमतीनगर लखनऊ
3.का0 सूर्यप्रताप सिंह थाना गोमतीनगर लखनऊ